रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2007/आश्विन 30, 1929
No. 469] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2007/ASVINA 30, 1929

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 675(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 98 और धारा 99 तथा धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (त) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि (निधि का गठन और उपयोजन की रीति)और बजट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय नियम, 2007 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ' अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;
(ख) 'केन्द्रीय आयोग' से अधिनियम की धारा 76 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;
(ग) 'सचिव' से केन्द्रीय आयोग का सचिव अभिप्रेत है ;
(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;
(ङ) 'निधि' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में है ।

3. **निधि का गठन** – (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि नामक एक निधि का गठन करती है ।

(2) निधि, भारतीय लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी और यह एक समाप्त न होने वाला और ब्याज रहित लेखा होगा ।

(3) केन्द्रीय आयोग, आयोग की अनुमानित प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधियों की अपनी अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) केन्द्रीय आयोग, आयोग की अनुमानित प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधियों की अपनी अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार संसद् द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय आयोग को ऐसी धनराशियों के अनुदान और ऋण देगा जो सरकार उपनियम (3) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा संसूचित अपेक्षा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखने के पश्चात् आवश्यक समझे ।

(5) निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होगा –

(i) अधिनियम की धारा 98 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए कोई अनुदान या ऋण ;

(ii) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस ;

(iii) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य स्रोतों से केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ।

4. निधि का उपयोजन – निधि का निम्नलिखित की पूर्ति के लिए उपयोजन किया जाएगा –

(क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य पारिश्रमिक ;

(ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन केन्द्रीय आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय ;

(ग) अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय ;

5. निधि से रकम का जारी किया जाना – (1) केन्द्रीय आयोग किसी वित्तीय वर्ष में अपने वार्षिक बजट के संबंध में निधि से रकम जारी करने की दो बार (अप्रैल और सितंबर मास में) मांग करेगा । केन्द्रीय आयोग से ऐसी अध्यपेक्षा के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार –

(क) निधि में विद्युत मंत्रालय के वार्षिक बजट में संसद द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय आयोग के लिए अनुदानों और ऋणों की रकम के समुचित भाग को अंतरित करेगी और साथ ही ;

(ख) अपने वेतन और लेखा कार्यालय के माध्यम से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा केन्द्रीय आयोग को निधि से यथा अध्यपेक्षित रकम जारी करेगी ।

(2) केन्द्रीय आयोग इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रीति में अनुदानों और ऋणों के उचित लेखे और अन्य अभिलेख रखेगा ।

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केन्द्रीय आयोग आरंभिक अतिशेष, निधि से प्राप्त रकम (अनुदानों और ऋणों की रकम सहित) और उपयोजित और अनुपयोजित शेष बकाया का उसमें कथन करते हुए एक उपयोजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

6. बैंक खाते का खोला जाना –

(1) केन्द्रीय आयोग एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता(खाते) खोलेगा ।

(2) केन्द्रीय आयोग नामनिर्दिष्ट बैंक/बैंकों में उनकी जानकारी और अभिलेखों के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में अपने दो अधिकारियों के हस्ताक्षर के नमूने उपलब्ध कराएगा ।

(3) नामनिर्दिष्ट बैंक/(बैंकों) की संबद्ध शाखा केन्द्रीय आयोग को दैनिक संदाय और प्राप्ति सूची प्रस्तुत करेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि संदाय सूची में उपदर्शित चैक ऐसे हैं जो केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी किए गए हैं और बैंक/(बैंकों) के साथ प्रत्येक संव्यवहार का समाधान करेगी ।

7. निधि के उपयोजन करने की रीति --

(1) निधि से जारी की गई सभी रकमों को बैंक/(बैंकों)में केन्द्रीय आयोग के खाते(खातों)में संदत्त किया जाएगा और उपनिदेशक (लेखा) और लेखा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चैक प्रस्तुत करने के सिवाय निकाला नहीं जाएगा ।

(2) ये अधिकारी केन्द्रीय आयोग की ओर से प्राप्तियों और संदायों के उचित संव्यवहारों की मानिटरी के लिए उत्तरदायी होंगे ।

8. बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन -- केन्द्रीय आयोग उपाबंध - 1 में दिए गए प्ररूप में अपना बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा उपाबंध - 2 में दिए गए प्ररूप में अंतिम अनुदान विवरण प्रस्तुत करेगा और उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर और 15 जनवरी तक केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

9. शक्तियों का प्रत्यायोजन -- केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित विषयों को छोड़कर, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम की अनुसूची - 2, 5, 6 और 7 में यथा दी गई मदों से संबंधित केन्द्रीय सरकार की शक्तियां होंगी :-

(i) पदों का सृजन ;
(ii) एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोग ;
(iii) यानों का क्रय ;
(iv) विदेश में संगोष्ठियों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अनुमति देना ;

परंतु यह कि इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम, 1978 और अन्य साधारण नियमों में अंतर्विष्ट साधारण निर्बंधनों और शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगा ।

(2) केन्द्रीय आयोग विभिन्न व्ययों की मंजूरी और केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बीच शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए विस्तृत प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ।

10. लेखाओं की लेखा परीक्षा -- (1) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों में जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए केन्द्रीय आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित केन्द्रीय आयोग के लेखे उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रखने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे ।

उपाबंध - 1

(चालू वर्ष) के पुनरीक्षित प्राक्कलन /
(अगले वर्ष) के बजट प्राक्कलन

लेखा शीर्ष	पिछले दो वर्षों के वास्तविक		बजट आबंटन	प्रथम 6 मासों के वास्तविक (पूर्ववर्ती 2 वर्ष और अंतिम वर्ष)			पिछले 6 मासों के लिए वास्तविक (पूर्ववर्ती 2 वर्ष)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पिछले 6 मासों का प्राक्कलन (अंतिम वर्ष)	कुल पुनरीक्षित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन	आबंटन और पुनरीक्षित प्राक्कलन के बीच अंतर (11-14)
10	11	12	13

(बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन) के बीच अंतर (12-11)	अंतर के कारण
14	15

टिप्पण 1. – लेखा शीर्ष परिशिष्ट क पर सूची के अनुसार होंगे ।
टिप्पण 2. – बजट उपबंधों को परिशिष्ट ख पर यथासूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा ।

उपाबंध - 2

लेखा शीर्ष	प्राप्त पुनरीक्षित आबंटन	प्रथम 10 मासों के वास्तविक	पिछले 2 मास की अपेक्षा	कुल अंतिम अनुदान	शुद्ध बचत/ आधिक्य	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पण 1. – लेखा शीर्ष परिशिष्ट क पर सूची के अनुसार होंगे ।
टिप्पण 2. – बजट उपबंधों को परिशिष्ट ख पर यथासूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा ।

परिशिष्ट क

ब्यौरेवार लेखा शीर्ष (वर्णन सहित) जिसके अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग बजट विवरणों और उसके स्पष्टकारी ज्ञापन प्रस्तुत करेगा

	लेखा वर्णन
	कोड
	राजस्व
	2. फीस और प्रभार
2.1	फीस
2.2	प्रभार
2.3	जुर्माने
	योग
2.4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	कुल योग
3.	**अनुदान**
3.1	सरकार से
3.2	अन्य से
	योग
4.	**दान**
5.	**संगोष्ठियां और सम्मेलन**
6.	**प्रकाशनों का विक्रय**
7.	**विनिधानों पर आय और निक्षेप**
7.1	विनिधानों पर आय
7.2	निक्षेपों पर आय
8.	**उधार**

8.1 सरकार से

8.2 अन्य से (विनिर्दिष्ट करें)

9. आस्तियों का विक्रय

10. विनिधानों का विक्रय

11. वेतन बिलों से वसूलियां

11.1 उधारों और अग्रिमों की मूल रकम

11.2 उधारों और अग्रिमों पर ब्याज

12. प्रकीर्ण आय

12.1 आस्तियों के विक्रय पर अभिलाभ

12.2 कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

व्यय

13. अध्यक्ष और सदस्य

13.1 वेतन और भत्ते
13.2 अन्य फायदे
13.3 यात्रा व्यय
13.3.1 विदेश
13.3.2 घरेलू

14. अधिकारी
14.1 वेतन और भत्ते
14.2 सेवानिवृत्ति फायदे
14.3 अन्य फायदे
14.4 यात्रा व्यय
14.4.1 विदेश
14.4.2 घरेलू

15. कर्मचारिवृंद

15.1 वेतन और भत्ते
15.2 सेवानिवृत्ति फायदे
15.3 अन्य फायदे
15.4 यात्रा व्यय
15.4.1 विदेश

15.4.2 घरेलू

16. वाहन - भाड़ा

17. मज़दूरी
18. अतिकाल
19. मानदेय
20. अन्य कार्यालय व्यय
21. अनुसंधान पर व्यय
22. परामर्श फीस
23. संगोष्ठियां और सम्मेलन
24. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के प्रकाशन
25. किराया और कर
26. उधारों पर ब्याज
27. प्रवर्तन संबंधी व्यय
28. सदस्यता फीस
29. अभिदान
30. स्थिर आस्तियों का क्रय
31. विनिधान और निक्षेप
31.1 विनिधान
31.2 निक्षेप
32. प्रतिभूति निक्षेप
33. उधार और अग्रिम
33.1 कर्मचारियों को
33.1.1 ब्याज सहित
33.1.2 ब्याज रहित
33.2 प्रदायकर्ताओं और ठेकेदारों को
33.3 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
34. उधारों का प्रतिसंदाय
35. अन्य
35.1 छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय
35.2 लेखा परीक्षा फीस
35.3 प्रकीर्ण
36. वर्णन
37. आस्तियों के विक्रय पर हानि
38. बट्टे खाते में डाले गए डूबंत ऋण
39. डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध

योग

परिशिष्ट ख

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पुनरीक्षित प्राक्कलन /बजट प्राक्कलन का स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. पूर्ववर्ती वर्ष में वास्तविक स्थापन पद संख्या और उसकी लागत सहित प्राक्कलन में उसके लिए चाहे गए उपबंध सहित स्थापन के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण ।

2. मूल लागत, पुनरीक्षण, यदि कोई हो, को उपदर्शित करते हुए पांच लाख से अधिक की लागत वाली एकल परियोजनाओं/परामर्शों के प्राक्कलन और बजट अनुदानों में परियोजना के लिए चाहे गए उपबंध ।

3. बजट/पुनरीक्षित प्राक्कलनों में विदेशी मुद्रा घटक के ब्यौरे ।

4. बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के प्राक्कलन ।

5. बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वित्तीय परिणामों को दर्शित करने वाला विवरण ।

[फा. सं. 23/76/2003-आर एण्ड आर]

आलोक कुमार, निदेशक